

18.5.18

पत्रावली अल सेवा केन्द्र टांटी मंलीगड। कडाभी संख्या
 1 और 3 हाजीर दुन्देने उपखिती के हस्तारकिमे।
 वादीमां मनभर पालि भागचन्द हाजिर। लेकिन वादियां ने
 हस्ताशर करने से इन्कार कर दिया। पत्रकारान को लुना
 जमा पत्रावली का अवलोकन किमा। ग्राम टांटी की
 जमाबंदी संवत् 2069-88 का खाता संख्या नमा-399
 में दर्ज खसरा नं. 2958 रकबा 1.38 हेक्टेयर में से
 खसरा न. 2957 रकबा 0.01 हेक्टेयर और मुमकिन चा.
 पर जोने हेतु रास्ते दिलवाने का निवेदन वादिमा ने किमा है।
 खसरा न. 2958 रकबा 1.38 हेक्टेयर भंवर सिंह पिता
 नंगा भंवरी हेजा शानू पुत्रिमां नंगा, मनभर पालि भागचन्द,
 जितेन्द्र नाबालिग, राजेन्द्र नाबा. पिता भागचन्द, पिती नाबा.
 पुत्री भागचन्द बसरबराहि माता रुवद मनभर के नाम
 दर्ज है। में से मनभर पालि स्व. भागचन्द ने रास्ता दिलवाने
 का निवेदन किमा है।

पत्र 2
 वादिमा

मनभर

पुनगत भूमि पत्रकारान की संमुक्त खाते
 की है अतः तहसीलदार टांटी की आडेर किमा
 जाता है कि चा. न. 2957 रकबा 0.01 हेक्टेयर से
 लम्बवत् 12 फुट चौड़ा रास्ता 2958 में से कमवते
 हुमे शेष रकबा सह खातेदारों के पक्ष में बराबर बराबर
 बाँटा जावे। पत्रकारान सहमत है तो सहमति बखारा
 कर कलगा-कलगा खाता और लगान कायम कर दिया
 जावे। और संमुक्त रिकोर्ड में रखना चाहे तो सीमा चिन्हो
 से नाप-चौप करके अलग-अलग बताने हेतु पटवारी

गिरावट को निर्देशित करे ताकि प्रकरण का प्रन्विम विस्तारण हो सके।

आदेश-खुले-आधालय में मज में धाम में संवेटी में सुनाया गया।

सदस्य / सचिव

लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

पुथ

लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

अध्यक्ष

लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)